न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – **41/2022**
अनवान : –

1 सीताराम वल्द टीकूराम जाति कुम्हार प्रजापति साकिन डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. शिशपाल वल्द ठाकरराम जाति कुम्हार प्रजापति साकिन डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थितिः–1. श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जे0पी0 शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अन्य आराजी के साथ–साथ चक 4 एम. एस. टी. एस. एम सहित के प.न. 191/342 मु.न. 16 कि.न. 20 ता 24 कुल 1.265 है0 आराजी प्रार्थी के नाम से दर्ज कागजात माल है जिसका प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी चक 4 एम. एस. टी. एस. एम. सहित खाता संख्या 84/70 संलग्न दरख्वास्त है। प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वज एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे तथा प्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी में आने–जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नही था इसलिए अप्रार्थी के पूर्वजो ने चक 4 एम. एस. टी. एस.एम सहित के प.न. 191/342 मु.न. 16 के कि.न. 25 के दक्षिणी सिरे पर एक बिश्वा चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पूर्वजो को दरख्वास्त की दफा एक में वर्णित आराजी में आने–जाने के लिए दे दिया था जिसके जरिये प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन करता चला आ रहा था लेकिन करीब डेढ वर्ष पूर्व अप्रार्थी ने अपने भाई के साथ खाता विभाजन किया तो कि.न. 25 के दक्षिणी हिस्सा की 0.101 है० आराजी अप्रार्थी के हिस्सा में आई जिसमें से चालू रास्ता में से प्रार्थी आवागमन करता चला आ रहा था लेकिन उपरोक्त रास्ता कागजात माल में मंजूरशुदा नही होने के कारण अप्रार्थी ने उपरोक्त रास्ता बंद कर दिया जिसकी वजह से प्रार्थी की आराजी में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। प्रार्थी की आराजी में वर्तमान में कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है तथा प्रार्थी की आराजी के पूर्व दिशा की ओर पत्थर लाईन 191 पर उतर से दक्षिण मंजूरशुदा रास्ता चल रहा है। मंजूरशुदा रास्ता व प्रार्थी की आराजी के बीच में मात्र एक बीघा अप्रार्थी की आराजी है, इससे नजदीकी ओर कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन के लिए नही है इसलिए अप्रार्थी की आराजी चक 4 एम.एस.टी. एस. एम. सहित के प.न. 191/342 मु. न. 16 के कि.न. 25/2/0.101 है० कमाण्ड आराजी के दक्षिणी सिरे पर एक बिश्वा चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर मौका पर चालू करवाया जाना न्याय हित में है । रास्ता की आराजी की एवज में प्रार्थी चिपती आराजी अथवा कीमत देने के लिए तैयार है । अप्रार्थी की आराजी की

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

जमाबंदी व नजरी नक्शा संलग्न दरख्वास्त है। दरख्वास्त वावत रास्ता मंजूरी वावत है जो दो रुपये के न्याय शुल्क पर तहरीर है तथा काबिल समायत अदालतहाजा के अन्दर मियाद पेश है। लिहाजा दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि चक 4 एम. एस. टी. एस. एम. सहित्त के प.न. 191/342 मु.न. 16 के कि.न. 25/2/0.101 है० कमाण्ड आराजी के दक्षिणी सिरे पर एक विश्वा चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर कागजात माल में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाकर, मौका पर चालू करवाया जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश किया गया जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक 30.05.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर अप्रार्थी अधिवकता द्वारा ऐतराज जाहिर कर दिनांक 01.08.2023 को पेश किया गया, प्रार्थना पत्र बाबत् ऐतराज दिनांक 22.11.2024 को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। वकील उभयपक्ष ने अदालत को स्वयं मौका निरीक्षण बाबत् निवेदन किया।

प्रकरण में न्यायालय स्वंय द्वारा दिनांक 10.12.2024 को हल्का पटवारी के साथ स्थल का मौका निरीक्षण किया गया व मौका नजरी नक्शा व निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सलंग्न पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र, व अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.12.2024 निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया गया, न्यायाल हाजा के निर्णय विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील दायर की गयी, उक्त अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया, पत्रावली सलंग्न माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2022(1) आर आर टी 177, 2023(1) आर आर टी 103, 2023(1) आर आर टी 699, 2023(2) आर आर टी 1193, 2024(2) आर आर टी 1428 आदि पेश किये गये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए (1) में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत मे से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो, पत्रावली में सलंग्न पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण/मौका रिपोर्ट का पुनः अवलोकन किया गया, नजरी नक्शा से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के उपयोग उपभोग के

लिए मु0 16 के किला न0 25 में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रकबा अप्रार्थी शिशपाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है चूंकि प्रार्थी स्वंय अपनी खातेदारी में नजरी नक्शा के मुताबिक चालू रास्ता जो रिकोर्ड में दर्ज नही है का उपयोग नियमित कर रहा है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि छोटे–छोटे टुकडो में बंटना जाहिर है। एंव प्रस्तावित रास्ते का मिलान आगे किसी भी स्वीकृत शुद्धा रास्ते से हो रहा हो, प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से ऐसा जाहिर नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता "जोत की सुविधा" के लिए है न कि प्रार्थी की "आत्यांतिक आवश्यकता" है क्योंकि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए पहले से ही रास्ता उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी के खेत में "पहुंचने के वैकल्पिक साधन" का अभाव भी सिद्ध नही हो पाया, व चाहे गए रास्ते से अप्रार्थी की कृषि भूमि भी छोटे–छोटे भागो में विभक्त हो रही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो से सुसंगत नही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नही समझते है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़